न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर
दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राजस्व/2022/221 **दिनांक :-26.04.2022**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 16/2022 अनवान सादुला राम बनाम स्टेट राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित **निर्णय दिनांक 26.04.2022 संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक **26.04.2022** के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से जाकर चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर कुल 0.505 हेक्टैयर बारानी भूमि व चक 38 एच के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर कुल 0.189 हेक्टैयर बारानी भूमि, दोनो खातो की कुल 0.694 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16 /2022

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थी
1. सादुला राम पुत्र गोविन्द राम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 31.03.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956

--निर्णय-- दिनांक : 26.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 14, 20, 21, 30, 32, 50/12, 50/13 की कुल 5.816 हेक्टेयर भूमि में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 की 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टेयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टेयर भूमि बारानी दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 15, 30, की कुल 1.771 हेक्टैयर भूमि में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3 की 0.253 हेक्टेयर, किला नम्बर 7 की 0.253 हेक्टैयर भूमि बारानी दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2001 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 में 0.190 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 में 0.063 हेक्टैयर भूमि नहरी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टेयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 3 में 0.190 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 में 0.063 हेक्टैयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 174 दिनांक 22.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल आर एक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/21 में अजुर्न राम पुत्र कुशला राम व बलवन्तराम पुत्र गोविन्दराम आदि के नाम संयुक्त खाते में मुरब्बा नम्बर 14/1.389 हेक्टैयर नहरी, 20/1.696 हेक्टैयर नहरी, 21 के किला नम्बर 1,2,9,10,11,12/1.518 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 23/0.253 हेक्टैयर बारानी कुल 1.771 हेक्टैयर नहरी/बारानी, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8/0.253 बारानी, 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, 14/1 की 0.126 हेक्टैयर बारानी कुल 0.505 हेक्टैयर, बारानी, मुरब्बा नम्बर 32/0.126 हेक्टैयर नहरी, 50/12 की 0.253 हेक्टैयर गै.मु. खाला, 50/13 की 0.076 हेक्टैयर गै.मु.खाला कुल 5.816 हेक्टैयर नहरी/बारानी मय खाला व खाता संख्या 39/39 में बृजलाल पुत्र गोविन्दराम आदि के नाम संयुक्त खाते में मुरब्बा नम्बर 15 की 1.265 हेक्टैयर नहरी, मुरब्बा नम्बर 30 में किला नम्बर 3/0.253 हेक्टैयर बारानी, 7/0.253 हेक्टैयर बारानी कुल 0.506 हेक्टैयर भूमि नहरी मय बारानी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मौके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

पर वर्तमान में नहर द्वारा सिंचाई हो रही है। जमाबन्दी सम्वत 2001 के खाता संख्या 8 में मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 8/1 की 0.140 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 8/2 की 0.113 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, व खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड हैं। जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 21 के खाता संख्या 18 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, 3/2 की 0.127 हेक्टैयर बारानी, 7/0.253 हेक्टैयर नहरी, खाता संख्या 19 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8/0.253 हेक्टैयर नहरी, 13/1 में 0.126 हेक्टैयर नहरी, 14/1 में 0.127 हेक्टैयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2001 में उक्त रकबा नहरी दर्ज है। जो कि बाद की जमाबन्दी में सहवन से बारानी दर्ज हो गया है। रिपोर्ट पटवारी हलका मुताबिक उक्त रकबा पर मौके पर नहर द्वारा सिंचाई हो रही है। वर्तमान जमाबन्दी चक 38 एच सम्वत 2073 ता 76 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर, 7/1 की 0.063 हेक्टैयर, 8 की 0.253 हेक्टैयर, 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, 14/1 की 0.126 हेक्टैयर भूमि की किस्म बारानी से नहरी किया जाना उचित है। रिपोर्ट टीआरए/215 दिनांक 31.03.2022 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2001के खाता संख्या 8 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8/1 की 0.140 हेक्टैयर, किला नम्बर 8/2 की 0.113 हेक्टैयर, नहरी, किला नम्बर 13 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 14 की 0.126 हेक्टैयर, नहरी व खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर, नहरी जालू वल्द माना कौम जाट झौरड के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन(गंगनहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के तहत आवटन नहीं है। अतः राज्य सरकार के राजस्व उपनिवेशन विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7)उप-/2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूसी खातेदारों से अन्तर राशि वसूल योग्य नहीं है। इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तर राशि जमा होने से शेष/ बकाया नहीं है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/21, चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 39/39, जल उपयोक्ता संगम की प्रमाणित रिपोर्ट, अधिशाषी अभिंयता जल संसाधन उतरखण्ड श्रीगंगानगर का सीसीए चक प्लान 38 एच की प्रमाणित प्रति, चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2001 के खाता संख्या 8, 7 की प्रमाणित प्रति, चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 21 के खाता संख्या 18 की प्रमाणित प्रति, चक 38 एच मिसल बन्दोबस्त 2027 ता 36 की प्रमाणित प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर भूमि को नहरी से बारानी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2001 के खाता संख्या 8 में मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 8/1 की 0.140 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 8/2 की 0.113 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 14/1 की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

0.126 हेक्टैयर नहरी, व खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड है। चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2018 ता 21 के खाता संख्या 18 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर नहरी, 3/2 की 0.127 हेक्टैयर बारानी, 7/0.253 हेक्टैयर नहरी, खाता संख्या 19 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8/0.253 हेक्टैयर नहरी, 13/1 में 0.126 हेक्टैयर नहरी, 14/1 में 0.127 हेक्टैयर नहरी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2001 में उक्त रकबा नहरी दर्ज है। जो कि बाद की जमाबन्दी में सहवन से बारानी दर्ज हो गया है। रिपोर्ट पटवारी हलका मुताबिक उक्त रकबा पर मौके पर नहर द्वारा सिंचाई हो रही है। वर्तमान जमाबन्दी चक 38 एच सम्वत 2073 ता 76 में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3/1 की 0.126 हेक्टैयर, 7/1 की 0.063 हेक्टैयर, 8 की 0.253 हेक्टैयर, 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, 14/1 की 0.126 हेक्टैयर भूमि की किस्म बारानी से नहरी किया जाना उचित है। रिपोर्ट टीआरए के अनुसार प्रकरण में राजस्व विभाग के अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अन्तर राशि जमा होने से शेष/ बकाया नहीं है। उक्त रकबे जल उपयोक्ता संगम के प्रमाणित अनुसार सादूला राम के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3, 7, 8, 13/1, 14/1 कुल 4.00 बीघा भूमि में से 02.15 बीघा भूमि नहरी है। चक 38 एच पर्ची बाराबन्दी के मुताबिक सादुलाराम के नाम मुरब्बा नम्बर 30 के 2.15 बीघा की पानी की बारी बंधी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट जल उपयोक्ता संगम, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 38 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 21/21 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 8 की 0.253 हेक्टैयर, किला नम्बर 13/1 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 14/1 की 0.126 हेक्टैयर कुल 0.505 हेक्टैयर बारानी भूमि व चक 38 एच के खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3 की 0.126 हेक्टैयर, किला नम्बर 7/1 की 0.063 हेक्टैयर कुल 0.189 हेक्टैयर बारानी भूमि, दोनो खातो की कुल 0.694 हेक्टैयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त दोनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत 36 एच नग्गी सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर